भर्ती सामान्यत: रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है, किन्तु प्रचलित नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के मामलों में एक सीमित सीमा तक, ग्रुप "सी" (श्रेणी III) के पदों पर रेल प्रशासन द्वारा स्वयं सीधी भर्ती करने की व्यवस्था है :...

(1) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करना

(2) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती

(4) रेलवे के स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती

(5) कुशल कारीगरों की भर्ती

(6) जब कभी रेल सेवा आयोग कुछ कोटियों और/या कुछ क्षेत्रों में समय-समय पर उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार प्राप्त करने में असफल रहता है तो विशिष्ट मामलों में, रेल मंत्रालय के अनुमोदन से भर्ती कर ली जाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण पूर्व रेलों पर ग्रुप "सी" (श्रेणी III) के पदों पर कुछ सीमा तक रेल प्रशासनों द्वारा सीधी भर्ती स्वयं कर ली गयी होगी।

(ग) एक सीमित अवधि के लिए राष्ट्रीय राजकोष से होने वाले खर्च को कम रखने के हित में समग्र किफायत सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संदर्भ में, कुछ अपवादों को छोड़कर चालू केलेण्डर वर्ष में 30 सितम्बर, 1984 तक कोई नयी भर्ती नहीं की जा रही है। इस अवधि के समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

Guidelines to States on Children Languishing in Jails

*284. SHRI DHARAM DASS SHASTRI :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned 'Children Languishing in Jails' reported in 'Indian Express' dated 7 July, 1984;

(b) whether Central Government have issued any guidelines and directions to State Governments in this regard; and

(c) if so, details of the guidelines or directions issued and further steps Central Government contemplate to take to save the lives of children who are languishing in jails ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The responsibility of enforcement and implementation of the Children Act rests with the State Governments. The need for extending the coverage of the services of the Children Acts in all the districts and also to improve the quality of existing services so that children are not kept in jails has been emphasized on the State Governments. The Government of India is pursuing this matter with the State Governments.

Illiteracy Among Women

*285. SHRI AMARSINH RATHAWA: Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state :